



राजस्थान सरकार

No Mask-No Entry

अतिआवश्यक

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजस्ट्रेट अराई, जिला अजमेर

E-Mail:- sdoarain@gmail.com

sdoarain.rev@rajasthan.gov.in

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

पीठासीन अधिकारी श्री खेमराम यादव

कैम्प कोर्ट दसूक दिनांक 12/11/2021 क्रमांक राजाचवाड 403/2020
उपखण्ड बीजा/सरकार

आदेश

पत्रावली राजस्थान सरकार शबस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प।2.(2) राज 1/2020 दिनांक 24.09.2021 की धारणा में नियत तिथि से पूर्व तलब की जाकर आज दिनांक 12.11.2021 को कोर्ट कैम्प दसूक में पेश हुई। वादी उप. उक्त प्रा. पत्र वादी द्वारा ग्राम बालापुरा स्थित कृषि भूमि खाता स. नं० खातरा स. 206 रकबा 0.0566 हैक्टेयर (6 बीस्वा 8 बीस्वांशी) का सेरीकेशन के तहत रकबा कम होने की इन्डाज दुरुस्ती करवाने बाबत पेश किया। ~~पत्र~~ तहसील अराई रिपोर्ट की गई। तहसील अराई रिपोर्ट नुसार रिकार्ड जमाबंदी सम्बत 2019, जमाबंदी महकमा बन्दोबस्त सम्बत 2006 के अनुसार पञ्चीगण के हिसा का रकबा 7 बीस्वा (1/2) दर्ज है और वर्तमान में भी ख. न. 206 का रकबा 0.0566 है (1/2) 7 बीस्वा ही दर्ज है अतः पुकरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

हमारे द्वारा सेलम दस्तवेज जमाबंदी ख. न. 206 सम्बत 2021-24, जमाबंदी वि. न 204/ जमाबंदी सम्बत 2019 व अन्य दस्तवेजों का अवलोकन किया गया। सन्नीसतावेजों में भूमि का उपरोक्त हिसा (1/2) 7 बीस्वा ही दर्ज है तथा वर्तमान जमाबंदी में 7 बीस्वा ही बनता है। अतः वाड अन्तर्गत द्वारा 88 राज. का. अधि व 136 भन्तर्गत भू. राज. अधि. को चलाने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं बनता है। अतः वाड कारनाम में वादी का वादी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार



12/11/21
शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

